अर्जुन नगर की 22 बीघा जमीन में से 9 बीघा का सीमांकन

रतलाम | दिसंबर में अतिक्रमण मुक्त कराई गई अर्जुन नगर की 22 बीघा जमीन में से 9 बीघा का शनिवार से सीमांकन शुरू हो गया है।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के साथ राजस्व विभाग व निगम इंजीनियरों ने भूमि का नक्शा देखकर नपती कर निशान लगाए। मिट्टी हटाकर जमीन को समतल कर, ईंट भट्टे की सामग्री हटवाई। ग्रीन नेट और सीमांकन पूरा होने के बाद तार फेंसिंग कर जमीन को सुरक्षित किया जाएगा। यह जमीन 1982 में नगर निगम विकास शाखा की स्वीकृत योजना का हिस्सा है। कुछ लोगों

ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा कर पीआईयू की धीमी गति पर जताई नाराजगी

तय समय पर काम नहीं हुआ तो शासकीय राशि के दुरुपयोग का बनेगा प्रकरण

पत्रिका सिटी इवेंट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. जिले के ग्रामीण अंचल में अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने के निर्देश शनिवार को कलेक्टर ने कुमार पुरुषोत्तम ने दिए। कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित किए जाने वाले पंचायत भवन, आंगनवाड़ी जैसे अपूर्ण कार्य अक्टूबर अंत तक पूरे करने के दिए दिए हैं। साथ ही कहा कि तय समय सीमा में कार्य नहीं पूरा किए जाने पर शासकीय धन के दुरुपयोग का प्रकरण बनाया जाएगा।

कलेक्टर ने जिले में ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने पीआईयू द्वारा धीमी गति से किए जा रहे कार्यों पर नाराजगी जताई। पीआईयू के अधिकारी को निर्देश दिए कि कार्य की गति बढ़ाई जाए, आपकी मानिटरिंग का यदि प्रभाव नहीं है तो अधिकारी की कार्य क्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। पीआईयू इस प्रकार कार्य करें कि प्रत्येक माह में कुछ ना कुछ कार्यों का उद्घाटन हो जाए। सीईओ जिला पंचायत मीनाक्षी सिंह बैठक में उपस्थित थी।

बैठक में पीएमजीएसवाई के कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि सालाखेड़ी से भाट पचलाना तक 7 किलोमीटर मार्ग निर्माण से शेष बचा है जो आगामी दिसंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। मनरेगा की समीक्षा के दौरान सीईओ जिला पंचायत को निर्देशित किया कि कार्य के प्राक्कलन में उसके पूर्णता की तिथि भी अंकित की जाए ताकि कार्य में ढिलाई नहीं हो, समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाए। साथ ही सीईओ जिला पंचायत प्रत्येक जनपद पंचायत में जाकर बैठक ले।

पुअर है परफारमेंस

कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य उसी वित्तीय वर्ष में ही पूरा करना होगा। ग्रामीण यात्रिकी सेवा के कार्यों की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि परफारमेंस पुअर है, मात्र 5 लाख रुपए लागत के काम एक साल में पूरे हो रहे हैं, यह गलत है। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना की समीक्षा के दौरान बाजना तथा सैलाना जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा कार्य में ढिलाई बरतने पर कलेक्टर द्वारा नाराजगी जताई गई।

जनपद सीईओ को नोटिस देने के निर्देश

कलेक्टर ने कहा कि यदि सरपंच, सचिव काम नहीं कर रहे हैं तो जनपद सीईओ द्वारा मानिटरिंग क्यों नहीं हो पा रही, उन पर कंट्रोल क्यों नहीं है। आलोट जनपद पंचायत के पिपलिया सिसोदिया में खेत तालाब निर्माण की शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि संबंधित सब इंजीनियर, ग्राम पंचायत के सचिव को निलंबित किया जाए। जेआरएस को हटाया जाए। जनपद सीईओ को भी शोकाज नोटिस देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि कार्य में गड़बड़ी करने वाले सरपंचों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

पत्रिका 11-7-2021

अस्थाई पात्रता पर्चीधारी स्थायी पर्ची हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करें

रतलाम। कोविड-19 की लॉक डाउन अवधि में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एन एफ एस ए अन्तर्गत निर्धारित पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण घोषणा पत्र के आधार पर जिन हितग्राहियों को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की गई है , जिस पर माह जुलाई तक राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि ऐसे हितग्राही स्थायी पात्रता पर्ची जारी करने हेतु पात्रता संबंधी दस्तावेज, प्रमाण पत्र एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर वार्ड कार्यालय के प्रभारी/ग्राम पंचायत के सचिव को 26 जुलाई तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराएं।

जिन परिवारों द्वारा समयसीमा में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, उन्हें आगामी माह अगस्त 2021 से राशन सामग्री प्राप्त करने की पात्रता समाप्त हो जाएगी।

11-7-21

11-7-2021

अस्थाई पात्रता पर्चीधारी स्थायी पर्ची हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करें

रतलाम। कोविड-19 की लाकडाउन अवधि में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एनएफएसए अन्तर्गत निर्धारित पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण घोषणा पत्र के आधार पर जिन हितग्राहियों को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की गई है , जिस पर माह जुलाई तक राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि ऐसे हितग्राही स्थायी पात्रता पर्ची जारी करने हेतु पात्रता संबंधी दस्तावेज, प्रमाण पत्र एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर वार्ड कार्यालय के प्रभारी/ग्राम पंचायत के सचिव को 26 जुलाई तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराएं। जिन परिवारों द्वारा समयसीमा में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, उन्हें आगामी माह अगस्त 2021 से राशन सामग्री प्राप्त करने की पात्रता समाप्त हो जाएगी। उक्त दस्तावेज उपलब्ध करने के उपरान्त ही उनको स्थायी पात्रता पर्ची जारी की जाकर माह अगस्त में नियमित राशन उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई, समस्या होने पर जिला खाद्य कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07412-270414 अथवा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय में पदस्थ सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से सम्पर्क करें।

11-7-2021

बेहतर पर्यावरण के लिए पौधारोपण जरूरी

रतलाम। पौधारोपण ना केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए आवश्यक है, अपितु जीवन की सुरक्षा के लिए भी अब अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। फलदार पौधों के साथ-साथ औषधि युक्त पौधों का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी ने हमें उनका महत्व अच्छी तरह से बता दिया है। पर्यावरण के असंतुलन के कारण हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समाजसेवी संस्थाओं को अपनी गतिविधियों में पर्यावरण सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।

यह बात लायंस क्लब रतलाम गोल्ड हनुमान ताल पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में उपस्थित क्लब सदस्य तथा ग्रामीण भाइयों को संबोधित करते हुए जोन चेयरपर्सन प्रदीप लोढ़ा तथा शिक्षक सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कही। अध्यक्षता कर रही क्लब अध्यक्ष आरती त्रिवेदी ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम वर्षाकाल में शहर के चारों कोने में फलदार और औषधि युक्त पौधे लगाकर लोगों को जागरूक करेंगे। क्लब सचिव पुष्पा वासन, कोषाध्यक्ष संतोष जोशी, आशा चौधरी, रेवा जोशी, शुभांगी जोशी आदि उपस्थित थे। संचालन पुष्पा वासन ने किया। आभार संतोष जोशी ने माना।

उद्यान व मंदिर परिसर में रोपे पौधे

रतलाम। विश्व वाल्मीकि धर्म संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सुनीता खोकर का जन्मदिन गांधी नगर आंबेडकर उद्यान और विनोबा नगर स्थित लीलाधर महादेव मंदिर पर पौधारोपण कर मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता हितेश पैमाल, वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ ब्रजमोहन खरे, एनएसजी ग्रुप के अध्यक्ष मनोज वर्मा, संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश बंटी धावरी, जिला अध्यक्ष अमित गोसर, शहर महामंत्री निर्मल धावरी, सुमित यादव आदि उपस्थित थे। इसी प्रकार महू रोड स्थित नवीन कलेक्टोरेट

शनिश्चरी अमावस्या पर पीपल का पौधा रोपते हुए पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा।

परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान शासकीय सेवकों द्वारा गिलोय की बेल के साथ विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। शनिश्चरी अमावस्या पर पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा द्वारा पीपल का पौधा रोपा गया।

मंडी प्रांगण में पीपल, अर्जुन और नीम के पौधे रोपे

महू नीमच रोड कृषि उपज मंडी में शनिवार को प्रबल सामाजिक संस्था के प्रोजेक्ट मिशन आक्सीजन के तहत विभिन्न प्रजातियों के चालीस पौधे रोपे गए। सीईओ जिला पंचायत मीनाक्षी सिंह की उपस्थिति में मिशन टीम एवं मंडी सचिव एसएन गोयल ने पौधे रोपे। सीईओ ने भी पौधा लगाकर संदेश दिया कि इन पौधों की रक्षा करें और परिसर को हमेशा हरा-भरा रखें। मंडी प्रांगण में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधे लगाना और उनकी रक्षा सभी का दायित्व है। रोपित किए गए पौधों में कचनार, अर्जुन, नीम, कनेर, करंज, पीपल आदि शामिल हैं। पौधारोपण के दौरान मिशन टीम में लोकेश चौपड़ा, विपिन, वैभव सोलंकी, सुमन प्रजापति, पुष्पा सोनल अग्निहोत्री, आकाश कोठारी, अदिति दवेसर, रुद्राक्ष अमरिंदर अनिमेष भावना आदि का विशेष सहयोग रहा एवं इनकी उपस्थिति में पौधारोपण किया गया।

मंडी प्रांगण में पौधारोपण करती हुई सीईओ मीनाक्षी सिंह आदि। ● नईदुनिया

कलेक्टोरेट परिसर में पौधारोपण करते हुए कर्मचारी। ● नईदुनिया

हनुमान ताल क्षेत्र में पौधारोपण करती हुई क्लब पदाधिकारी व सदस्याएं। ● नईदुनिया

नई दुनिया
11-7-2021

पत्रिका की पहल पर एमआर एसोसिएशन और दृष्य वेलफेयर सोसायटी ने किया पौधारोपण

प्राकृतिक ऑक्सीजन के लिए 'पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ'

पत्रिका हरित प्रदेश

हरियाली से खुशहाली

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com 11-7-21

रतलाम. जीवन के लिए प्राकृतिक ऑक्सीजन सबसे अहम होती है और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ों का होना अनिवार्य है। पेड़ों को लगाकर ही हम प्राकृतिक ऑक्सीजन की न केवल पूर्ति कर सकते हैं वरन जीवन भी बचा सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर 'पत्रिका' के अभियान के अंतर्गत दो सामाजिक संस्थाओं ने सहयोग के हाथ बढ़ाते हुए पौधारोपण किया और इन पौधों के संरक्षण का संकल्प भी दोहराया।

एमआर एसोसिएशन

म.प्र मेडिकल रिप्रजेंटेटिव (एमआर) एसोसिएशन ने पत्रिका के पौधारोपण अभियान में सहभागिता करते हुए शुक्रवार को जवाहरनगर स्थित बीमा अस्पताल परिसर में पौधारोपण किया। एसोसिएशन के अश्विनी शर्मा ने बताया जिला अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉ. मुकेश डावर और बीमा अस्पताल की चिकित्सक डॉ. प्रियंका डावर खासतौर से मौजूद रहे। दोनों अतिथियों की मौजूदगी में परिसर में आधा दर्जन पौधे रोपे। एमआर एसोसिएशन इस परिसर में दो सौ पेड़ लगाएगा जिससे परिसर पूरी तरह पेड़ों से आच्छादित हो जाए। आयोजन के दौरान शर्मा के अतिरिक्त कमलेश देशमुख, कुशाग्र ओझा, अनमोल शर्मा, अन्नू शर्मा, चीकू भाई आदि मौजूद रहे।

दृष्य वेलफेयर सोसायटी

विद्यार्थियों की सामाजिक और शैक्षणिक संस्था दृष्य वेलफेयर सोसायटी ने शनिवार को शास्त्रीनगर स्थित बगीचे में पौधारोपण कर इनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। सोसायटी के नवोदित बैरागी ने बताया संस्था इस तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़चढ़कर हिस्सेदारी करती है। संस्था से जुड़े विद्यार्थी निःस्वार्थ भाव से ऐसे काम करने में अग्रणी रहते हैं। संस्था निर्धन विद्यार्थियों को पुस्तकें भी उपलब्ध कराती रही है। आयोजन के दौरान संस्था के बैरागी के साथ ही दिव्यांशु जोशी, श्रेयांश सुराणा, राहुल चौहान, अंजू सूर्यवंशी, रश्मि व्यास, जयराजसिंह झाला सहित संस्था के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

पत्रिका
11-7-2021

पिता की मौत के क्लेम के लिए लोक अदालत में पहुंचा था ग्रामीण

लोक अदालत में पहुंचे ग्रामीण की हार्ट अटैक से मौत

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम/आलोट

11-7-21

जिले की आलोट तहसील मुख्यालय पर आयोजित नेशनल लोक अदालत में पिता की सड़क हादसे में हुई मौत के क्लेम प्रकरण के निराकरण के आए किसान 45 वर्षीय नारायणसिंह पुत्र दरयावसिंह निवासी केसरजीखेड़ा की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। उनकी मौत हार्ट अटेक से होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जांच के बाद ही मौत का वास्तविक कारण पता चल पाएगा। जानकारी के अनुसार बरखेड़ाकला-केसरजी रोड पर 5 अप्रैल 2020 की दोपहर दो बाइकों की भिड़ंत होने से एक बाइक पर सवार नारायणसिंह के पिता 70 वर्षीय दरयावसिंह की मौत हो गई थी, वहीं दूसरी बाइक पर सवार एक युवक घायल हो गया।

बरखेड़ा पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था, वहीं मुआवजे के लिए नारायणसिंह व उनकी मां भूलाबाई ने बीमा कंपनी के खिलाफ केस लगाया था। उक्त केस निराकरण के लिए लोक अदालत में रखा गया था। नारायणसिंह व उनकी मां भूलीबाई लोक अदालत में पहुंचे थे।

अदालत में आपसी समझौते से केस का निराकरण हो गया था तथा बीमा कंपनी की तरफ से 3.30 लाख रुपए क्लेम के लिए मंजूर किए गए थे। भूलीबाई ने प्रकरण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। नारायणसिंह हस्ताक्षर करने जा रहा था, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वह नीचे गिरा तथा वहीं उसकी मौत हो गई, इससे परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस नारायणसिंह का शव पोस्ट मार्टम के लिए अस्पताल ले गई। नारायणसिंह के दो पुत्र व एक पुत्री हैं। सूचना मिलने पर बड़ा पुत्र 20 वर्षीय मदनसिंह अन्य स्वजन भी अस्पताल पहुंचे तथा विलाप करने लगे। लोगों ने उन्हें सांत्वना दी।

लोक अदालत के अवसर पर कलेक्टर ने ऋण पुस्तिकाएं वितरित की

रतलाम। शनिवार को लोक अदालत के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा 6 हितग्राहियों को ऋण पुस्तिकाएं तथा एक हितग्राही को उत्तराधिकार पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े तथा एस डी एम अभिषेक गहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी, नायब तहसीलदार नवीन गर्ग उपस्थित थे।

11-7-2021

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना : आर्थिक मदद में भी हृदयप्रदेश अव्वल

मप्र तीसरी बार प्रथम

भोपाल ● 10 जुलाई (ब्यूरो)

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्यप्रदेश को देश में प्रथम आने पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मजदूरी में लगी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक मदद दिलाने और गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए नकद राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित है। योजना के सफल क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश लगातार तीसरी बार देश में प्रथम आया है। पहले बच्चे के जन्म पर 5 हजार रुपए की सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत 21 जून 2021 तक प्रदेश में 23 लाख 7 हजार 880 गर्भवती महिलाओं को 991 करोड़ 89 लाख रुपए का भुगतान किया गया। योजना में प्रदेश के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 148 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस उपलब्धि के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को बधाई दी है। द्वितीय रहे हिमाचलप्रदेश में 139 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई। तृतीय रहे आंध्रप्रदेश में 11 लाख 69 हजार 730 महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया। योजना में मध्यप्रदेश पिछले तीन वर्षों से पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना योजना का उद्देश्य है। मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में यह योजना सहायक है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

मध्यप्रदेश पिछले तीन वर्षों से योजना में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने इस उपलब्धि के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को बधाई दी है।

तीन किस्तों में दी जाती है सहायता– योजना में पहले बच्चे के जन्म पर सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 हजार रुपए की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। 1 हजार की पहली किस्त आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्भावस्था का पंजीयन कराने पर, 2 हजार की दूसरी किस्त कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने और गर्भावस्था के 6 माह पूर्ण होने पर तथा 2 हजार की तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण और बच्चे के प्रथम चक्र के टीकाकरण पूर्ण होने पर दी जाती है।

11-7-2021

दैनिक भास्कर

5

नेशनल लोक अदालत • 24 खंडपीठें गठित की गईं

राजीनामे से 419 प्रकरण सुलझाए 89 लोगों के आयुष्मान कार्ड बने

भास्कर संवाददाता | रतलाम

शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामे के आधार पर न्यायालय में लंबित 419 प्रकरण सुलझाए। इससे 956 व्यक्ति लाभान्वित हुए जिन्हें 5,47,27,124 रुपए के अवॉर्ड पारित हुए। इसी तरह प्री-लिटिगेशन के 1311 प्रकरणों का निपटारा हुआ जिससे 1380 लोग लाभान्वित हुए और 1,76,25,873 रुपए के अवॉर्ड पारित हुए। नेशनल लोक अदालत के लिए जिले के रतलाम, सैलाना, जावरा और आलोट में 24 खंडपीठें गठित की गई थीं। नेशनल लोक अदालत में कुल 1730 प्रकरणों का निराकरण हुआ जिससे 2336 लोग लाभान्वित हुए और 7,23,52,997 रुपए के अवॉर्ड पारित हुए।

जिला जज नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन करते हुए।

जिला जज उमेशकुमार गुप्ता और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सुबह 10:30 बजे जिला न्यायालय के एडीआर भवन में नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हितेन्द्र कुमार मिश्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे अरुण श्रीवास्तव, एडीजे (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) संतोषकुमार गुप्ता, अरुण कुमार खराड़ी, योगेन्द्र कुमार त्यागी, शैलेष भारती भदकारिया, सीजेएम निलेश कुमार जिरेती, रेलवे विशेष न्यायाधीश विजय चौहान, न्यायाधीश अंजयसिंह, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बाल न्यायालय कपिल वर्मा, न्यायाधीश नितिन सोनी, हर्षिता शर्मा, बाबी जुनेजा अग्रवाल, ज्योति राठौर, कृष्णा अग्रवाल, अनुराधा गौतम, बबीता प्रजापत, नेहा उपाध्याय, विधिक सहायता अधिकारी पूनम तिवारी, जिला न्यायालय कार्यालय प्रभारी अधीक्षक ताराचंद पालीवाल उपस्थित थे। कार्यक्रम में आए पक्षकारों को छायादार और फलदार वृक्षों के पौधे वितरित किए गए। नेशनल लोक अदालत में बूथ बनाकर आयुष्मान कार्ड योजनांतर्गत 89 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इसी तरह अपर सत्र न्यायाधीश एवं तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष जावरा के कपेश कुमार शर्मा, आलोट के चंदन मेहता और सैलाना की सपना भारती कलोरिया के नेतृत्व में नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया।

दै. भास्कर 11-7-2021

लोक अदालत के अवसर पर कलेक्टर ने ऋण पुस्तिकाएं वितरित की

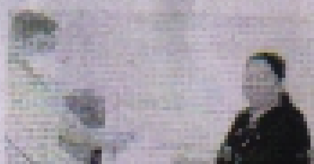

रतलाम। शनिवार को लोक अदालत के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा 6 हितग्राहियों को ऋण

(10)

डेढ़ साल पहले पिता की सड़क दुर्घटना में हो गई थी मौत

नेशनल लोक अदालत में पिता की मौत के क्लेम के समझौते के बाद युवक की हार्ट अटैक से मौत

पत्रिका सिटी हैपनिंग

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com 11-7-21

रतलाम/आलोट. जिले के आलोट में आयोजित लोक अदालत में पहुंचे एक ग्रामीण नारायणसिंह पिता दरियाव सिंह 50 की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक गांव केसरखेड़ी का रहने वाला था। वह अपने पिता की दुर्घटना में मृत्यु के बाद बीमा कंपनी के साथ न्यायालय में चल रहे प्रकरण के संदर्भ में लोक अदालत पहुंचा था। प्रकरण के समाधान के लिए उसे लोक अदालत में उपस्थित होने का नोटिस मिला था। शनिवार को वह अपनी मां के साथ न्यायालय परिसर में पहुंचा था। यहीं पर दोपहर करीब डेढ़ बजे नारायण को अटैक आया। उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आलोट में आयोजित शिविर में केसर खेड़ी गांव निवासी नारायण सिंह पहुंचा था। नारायण के वकील संजय शाह ने बताया कि नारायण के पिता दरियाव सिंह की करीब डेढ़ साल पहले बरखेड़ा के पास दो बाइक की हुई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसी के क्लेम के लिए बीमा कंपनी से न्यायालय में प्रकरण चल रहा था। इसी क्रम में शनिवार को लोक अदालत के लिए उसे नोटिस जारी हुआ था।

समझौता हो चुका था बीमा कंपनी से

समझौता होकर 3 लाख 50 हजार रुपए की बीमा राशि भी स्वीकृत हो चुकी थी। न्यायालय में समझौते में हस्ताक्षर किए और मां हस्ताक्षर कर रही थी तभी अचानक नारायण सिंह को घबराहट होने लगी और वह अचेत होकर नीचे गिर गया। नारायण सिंह को शासकीय अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जिलेभर में न्यायालयों में लगाई गई थी नेशनल लोक अदालत

नेशनल लोक अदालत: 419 प्रकरणों का निराकरण, 956 को मिला लाभ

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में राजीनामा योग्य कुल लंबित 4192 प्रकरणों में से 419 प्रकरणों का निराकरण किया-जिसमें 54727124/- रूपये का अवार्ड पारित किया गया जिसमें 956 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इसी तारतम्य में प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों में रतलाम में भारत संचार नि0 लि0 के 300/- प्रकरणों में से 12 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 16444/- रूपये की राशि जमा की गई तथा 12 व्यक्ति लाभान्वित हुए। समस्त बैंकों के 8125 में से 191 प्रकरणों में 11678357/- रूपये की राशि जमा करवाई गई जिसमें 191 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इसके साथ ही विद्युत विभाग द्वारा 450 प्रकरणों में से 118 का निराकरण कर 1858499/- रूपये की राशि जमा करवाई गई तथा 131 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार को हुई नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायालय रतलाम के एडीआर. भवन में प्रधान न्यायाधीश उमेश कुमार गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलित कर किया।। जिला न्यायाधीश ने समस्त न्यायाधीशगणों को निर्देशित किया कि वह अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के माध्यम से कराएं। इसके बाद समस्त खंडपीठों ने कार्य करना प्रारंभ किया। न्यायालयों के लंबित प्रकरण जिनका निराकरण किया गया।

ये रहे मौजूद

उद्घाटन समारोह में कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हितेन्द्र कुमार मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरूण श्रीवास्तव, प्रथम जिला संतोष कुमार गुप्ता, द्वितीय अरूण कुमार खराड़ी, चतुर्थ योगेन्द्र कुमार त्यागी, पंचम, शैलेश भारती भदकारिया, सीजेएम निलेश कुमार जिरेती, न्यायाधीश अंजयसिंह, विजय चौहान, प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट बाल न्यायालय कपिल वर्मा, नितिन सोनी, हर्षिता शर्मा, बार्बी जुनेजा अग्रवाल, ज्योति राठौर, कृष्णा अग्रवाल, अनुराधा गौतम, बबीता प्रजापत, नेहा उपाध्याय, विधिक सहायता अधिकारी पूनम तिवारी, ताराचंद पालीवाल उपस्थित थे। इसके साथ ही तहसील न्यायालय जावरा में न्यायाधीश रूपेश कुमार शर्मा, तहसील न्यायालय आलोट में वंदन मेहता, तहसील न्यायालय सैलाना में सपना भारती कतरोलिया की तरफ से नेशनल लोक अदालत का सफलतम आयोजन किया गया।

इतने प्रकरणों का हुआ निराकरण

प्रकृति	रखे प्रकरण	निराकृत	अवार्ड राशि	लाभान्वित
आपराधिक	634	52	267000	104
चैक बाउंस	111	082	17862420	142
मोटर क्लेम	364	79	161805005	290
वैवाहिक	96	12	00	40
दीवानी मामले	806	65	16969098	172
भरण पौषण	421	38	440400	73
एम.जे.सी अन्य				
विद्युत प्रकरण	724	86	1758170	114
श्रम प्रकरण	35	05	1249536	21

...11-7-21

जीका वायरस को लेकर जिले में भी अलर्ट

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले के स्वास्थ्य विभाग में जीका वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शासन स्तर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन और मलेरिया अधिकारी को निर्देश जारी किए गए हैं कि जीका का संदिग्ध मरीज मिलने पर जांच कराने में देरी नहीं करें। केरल से आने वाले लोगों को लक्षण दिखते हैं तो विशेष निगरानी करें।

महामारी नियंत्रण नोडल एवं मलेरिया अधिकारी डा. प्रमोद प्रजापति ने बताया कि जीका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2018 में जीका का मामला सामने आया था। रतलाम में अभी तक कोई मरीज नहीं मिले हैं। प्रदेश में जीका वायरस की जांच तीन जगह पर होती है। इसमें गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की वायरोलाजी लैब, एम्स और एनआइआरटीएच जबलपुर शामिल हैं। यदि हमारे यहां किसी में लक्षण मिलते हैं तो सैंपल जांच कराएंगे।

जीका बुखार के लक्षण

मलेरिया अधिकारी ने बताया कि जीका वायरस की चपेट में आने के बाद दो से सात दिन तक बुखार, आंखें लाल होना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, छाती या हाथों में खसरा के जैसे चकत्ते व दाने आना इसके लक्षण हैं। एक व्यक्ति से दूसरे में यह बीमारी एडीज मच्छर के जरिए फैलती है। यही मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलाता है।

जीका बुखार का अलग से कोई इलाज नहीं है। ऐसे में जो लक्षण हैं, उन्हीं का इलाज किया जाता है। रोगी का बुखार चार-पांच दिन बाद भी ठीक नहीं होता तो अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है। सात दिन में यह बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है।

एक नया पाजिटिव और एक डिस्चार्ज

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में शनिवार को एक नया पाजिटिव केस सामने आया। एक मरीज को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 15 है।

जिले में अब तक 17497 पाजिटिव केस सामने आ चुके हैं, वहीं 17171 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। मौत का कुल आंकड़ा 311 है। जुलाई के 10 दिनों में कुल 15 नए पाजिटिव केस सामने आ चुके हैं, वहीं 42 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। मौत एक भी नहीं हुई है।

धामनोद में कोरोना की जांच के लिए सैंपल लेते हुए स्वास्थ्यकर्मी। • नईदुनिया

86 लोगों के सैंपल लिए

धामनोद। नगर के गांधी चौक, नगर परिषद कार्यालय, आजाद चौक, टंकी चौराहा, बस स्टैंड पर लोगों को प्रेरित कर कोरोना की जांच के लिए 86 सैंपल लिए गए। इस अवसर पर भाजपा नामली मंडल महामंत्री गोविंद परिहार, युवा मोर्चा मंडल मंत्री मनीष पाटीदार, चिकित्सक हिमांशु राव, लैब टेक्नीशियन महेश खराड़ी, वार्ड बाय दीपक गेहलोत, एंबुलेंस चालक जगदीश परिहार आदि उपस्थित थे।

नई दुनिया 11-7-2021

डाट की पुल में सब्जी बेचने वाली पॉजिटिव, कान्टेक्ट ट्रेसिंग चुनौती...

बाइक पर जा रही थी, रोककर सैंपल लिया तो निकली पॉजिटिव

पिता की मौत का क्लेम लेने पहुंचा था ग्रामीण

नेशनल लोक अदालत में पहुंचे ग्रामीण की हार्ट अटैक से मौत

दबंग रिपोर्टर ■ रतलाम/आलोट

11-7-21

रतलाम जिले की आलोट तहसील मुख्यालय पर आयोजित नेशनल लोक अदालत में पिता की सड़क हादसे में हुई मौत के क्लेम प्रकरण के निराकरण के आए किसान 45 वर्षीय नारायणसिंह पुत्र दरयावसिंह निवासी केसरजीखेड़ा की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। उनकी मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही मौत का वास्तविक कारण पता चल पाएगा। जानकारी के अनुसार बरखेड़ाकला-केसरजी रोड पर 5 अप्रैल 2020 की दोपहर दो बाइक की भिड़ंत होने से एक बाइक पर सवार नारायणसिंह के पिता 70 वर्षीय दरयावसिंह की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी बाइक पर सवार एक युवक घायल हो गया।

बरखेड़ा पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। वहीं मुआवजे के लिए नारायणसिंह व उनकी मां भूलाबाई ने बीमा कंपनी के खिलाफ केस लगाया था। उक्त केस निराकरण के लिए लोक अदालत में रखा गया था।

नारायणसिंह व उनकी मां भूलीबाई लोक अदालत में पहुंचे थे। अदालत में आपसी समझौते से केस का निराकरण हो गया था तथा बीमा कंपनी की तरफ से 3.30 लाख रुपए क्लेम के लिए मंजूर किए गए थे। भूलीबाई ने प्रकरण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। नारायणसिंह हस्ताक्षर करने जा रहा था, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वह नीचे गिरा तथा वहीं उसकी मौत हो गई। इससे परिसर में हड़कंप मच गया।

पुलिस नारायणसिंह का शव पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल ले गई। नारायणसिंह के दो पुत्र व एक पुत्री है। सूचना मिलने पर बड़ा पुत्र 20 वर्षीय मदनसिंह अन्य स्वजन भी अस्पताल पहुंचकर विलाप करने लगे। लोगों ने उन्हें सांत्वना दी।

लोक अदालत के अवसर पर कलेक्टर ने ऋण पुस्तिकाएं वितरित की

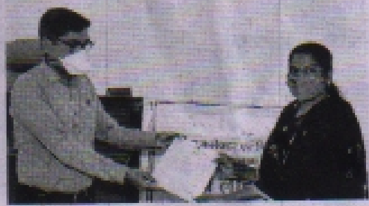

रतलाम। शनिवार को लोक अदालत के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने 6 हितग्राहियों को ऋण पुस्तिकाएं तथा एक हितग्राही को उत्तराधिकार पत्र प्रदान किया गया। अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े व एसडीएम अभिषेक गेहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी, नायब तहसीलदार नवीन गर्ग उपस्थित थे।

दबंग दुनिया
11-7-2021

छह साल से अलग रह रहे दंपती ने लिया साथ रहने का फैसला

नेशनल लोक अदालत • आपसी सुलह के आधार पर 4192 में से 491 प्रकरणों का निराकरण

(11)

रतलाम/जावरा (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में न्यायालयों में समझौता योग्य लंबित 4192 प्रकरण शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में रखे गए। इनमें से 419 प्रकरणों का आपसी सुलह के आधार पर निराकरण किया। इनमें 5 करोड़ 47 लाख 27 हजार 124 रुपये के अवार्ड पारित किये गए। वहीं जावरा न्यायालय में न्यायाधीश नमिता बौरासी की खंडपीठ में छह साल से अलग रह रहे ताल थाना क्षेत्र के ग्राम माधोपुर के निवासी अशोक व उनकी पत्नी रीना ने साथ रहने का निर्णय लिया। छह साल पहले रीना ने घरेलू हिंसा का केस पति के खिलाफ लगाया था। इसके बाद वह पति से अलग होकर मायके में रह रही थी। लोक अदालत में दोनों ने केस खत्म कर एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और खुशी-खुशी साथ लौटे।

नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायालय स्थित एडीआर भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व प्रधान जिला न्यायाधीश उमेशकुमार गुप्ता व कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलित कर किया। दिनभर चली कार्रवाई में न्यायालयों में राजीनामा योग्य लंबित 4192 प्रकरणों में से 10 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण हुआ। इनमें 956 व्यक्ति लाभान्वित हुए। वहीं प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों में बीएसएनएल के 300 में से 12 प्रकरणों का निराकरण कर 16 हजार 444 रुपये की राशि पक्षकारों ने जमा की। बैंकों के 8125 में से 191 प्रकरणों में 1 करोड़ 16 लाख 78 हजार 357 रुपये की राशि जमा कराई गई। बिजली कंपनी के 450 में से 118 प्रकरणों में 1 करोड़ 85 लाख 8 हजार 499 रुपये की राशि जमा कराई गई। इस प्रकार प्रीलिटिगेशन के प्रकरणों में 421 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

शुभारंभ समारोह में कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हितेंद्रकुमार मिश्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव (अपर जिला न्यायाधीश) अरुण श्रीवास्तव, न्यायाधीशगण अरुण कुमार खराड़ी, योगेंद्रकुमार त्यागी, शैलेष भारती भदकरिया, सीजेएम मिलेश कुमार गिरेली, अंजयसिंह, विजय चौहान, बाल न्यायालय के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट कपिल वर्मा सहित अन्य न्यायाधीश, विधिक सहायता अधिकारी पूनम तिवारी आदि उपस्थित थे। पक्षकारों को फलदार एवं छायादार पौधे वितरित किये गए। 89 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए।

एडीआर भवन में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए न्यायाधीश उमेशकुमार गुप्ता। • नईदुनिया

सैलाना के न्यायालय में मांगीलाल और पारूबाई में सुलह कराकर एकसाथ घर रवाना किया गया। • नईदुनिया

प्रकरणों के निराकरण की स्थिति

प्रकरणों का विवरण	रखे गए प्रकरण	निराकृत संख्या	अवार्ड राशि	लाभान्वित व्यक्ति
आपराधिक	634	52	267000	104
चेक बाउंस	1110	82	17862420	142
मोटर क्लेम	364	79	161805005	290
वैवाहिक	96	12	0	40
दीवानी मामले	806	65	16969098	172
भरण पोषण	421	38	440400	73
विद्युत प्रकरण	724	86	1758170	114
श्रम प्रकरण	35	5	1249536	21
अन्य	2	0	0	0
योग	4192	419	54727124	956

राजस्व न्यायालयों में भी प्रकरणों का निराकरण

जिले में तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों (राजस्व न्यायालयों) में आयोजित लोक अदालत में राजस्व, अपराधिक, फौजदारी, धारा 151, नामांतरण, बंटवारा, वसूली आदि के 1874 प्रकरण नेशनल लोक अदालत में निराकरण के लिए रखे गए। इनमें से 1844 प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। इन मामलों में करीब 2800 व्यक्ति लाभान्वित हुए तथा 18 लाख 47 हजार रुपये की वसूली की गई।

आलोट में 7.99 लाख के अवार्ड पारित

आलोट। न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष तथा जिला व अपर सत्र न्यायाधीश वंदन मेहता ने दीप प्रज्ज्वलित व मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। न्यायाधीश मेहता के न्यायालय में छह प्रकरणों में 799000 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। विद्युत के प्री-लिटिगेशन के 17 प्रकरणों में 494303 की राशि की वसूली हुई। एक अन्य प्रकरण में 278000 की राशि अदा की गई। न्यायाधीश डीआर कुमरे के न्यायालय में एक क्लेम प्रकरण में 75000 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पद्मा राजोरे तिवारी की कोर्ट में तीन प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निपटारा किया गया। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड नेहा मौर्य सोलंकी की कोर्ट में 15 प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निपटारा किया गया। नगर पालिका ताल के संपतिकर, जलकर के 53 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में 216078 रुपये की वसूली की गई। लोक अदालत में अभिभाषक संघ अध्यक्ष विमल एफ. जैन, उपाध्यक्ष आलोक आचार्य, राजेश मंडवारिया, सचिव अमित पोरवाल, मीडिया प्रभारी मनीष करवा, एसएन सोलंकी, प्रहलादसिंह परिहार, लुकमान खान मेव, सईद खान, जाहिद खान, केएस सगरवंशी, नितिन व्यास, एमके चौधरी आदि उपस्थित थे।

सुलह कराकर दंपती को एकसाथ घर भेजा

सैलाना। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायाधीश सपना भारती कलरोलिया ने बताया कि न्यायालयों में बैंकों कि रिकवरी के 1086 में से 54 प्रकरणों का मौके पर निराकरण किया गया। कुल 521386 राशि वसूली गई।

न्यायाधीश सपना भारती कलरोलिया की खंडपीठ में सात मामलों का निराकरण किया गया। इसमें पांच अपराधिक, दो सिविल प्रकरण शामिल हैं। इसी प्रकार न्यायाधीश गजेंद्र रावत की खंडपीठ मे 13 प्रकरण निराकृत हुए। इनमें एक सिविल और 12 आपराधिक प्रकरण शामिल हैं। लोक अदालत में एक पारिवारिक में पति-पत्नी के बीच सुलह कराई गई। पांच साल बाद मांगीलाल और पारूबाई को न्यायालय में पुष्प हार पहना कर एक साथ घर के लिए विदा किया गया। इसी प्रकार लेन-देन के मामले में प्रेमशंकर-पूनमचंद का भी समझौता हो गया और प्रकरण का निराकरण हुआ। न्यायाधीश ने बताया कि प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण के साथ-साथ अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण भी किया गया।

न्यायाधीश गजेंद्र रावत ने बताया कि राजीनामा होने पर शासन द्वारा दी गई छूट का लाभ भी पक्षकारों को दिया गया। न्यायालयों में प्रचलित मुकदमों के शीघ्र निराकरण हेतु लोक अदालत एक कारगर कदम है। यहां आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण किया जाता है तथा पक्षकारों को स्थायी समाधान मिलता है। न्यायाधीश श्रेया शर्मा, डीएसपी शीला सुराणा, सब इंस्पेक्टर आशीष पाल, एसआइ मनोज पाटीदार, रीडर निर्मल कसेरा, नाजिर अनिल नामनिया व अधिवक्ता आदि उपस्थित थे।

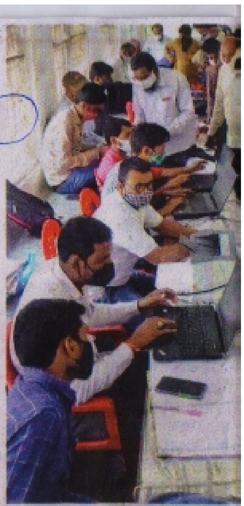

न्यायालय परिसर में लोक अदालत दौरान विद्युत कंपनी के उपभोक्ता। • नईदुनिया

नई दुनिया
11-7-2021

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 12 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 12 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर अनिल, लखन पाटीदार, सुरभी स्टेशन रोड, अनिल मिश्रा, कृष्णा बैरागी, श्रीराम मेडिकल स्टोर, कपील डालू मोदी बाजार, श्रीराम फुटवियर सैलाना बस स्टैण्ड, जगदीश नाहरपुरा चौराहा, सुरेश, कुलदीप व संजू पाटीदार अलकापुरी चौराहा पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। 11-7-21

11. 7-2021

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 12 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकान्दार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत 12 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर अनिल, लखन पाटीदार, सुरभी स्टेशन रोड, अनिल मिश्रा, कृष्णा बैरागी, श्रीराम मेडिकल स्टोर, कपील डालू मोदी बाजार, श्रीराम फुट वियर सैलाना बस स्टैण्ड, जगदीश नाहरपुरा चौराहा, सुरेश, कुलदीप व संजू पाटीदार अलकापुरी चौराहा पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। 11-7-21

विश्व जनसंख्या दिवस आज

8 करोड़ 45 लाख है प्रदेश की जनसंख्या | **48.4%** महिलाओं की संख्या है, जो 2011 से 0.4% ज्यादा है, पुरुषों की 51.6% है

मप्र में हर साल बढ़ रही 15 लाख आबादी, डेढ़ दशक में 10 करोड़ हो जाएंगे हम...

भगवान उपाध्याय/ मनोज जोशी | भोपाल

आज बात आबादी की। 100 साल पहले मध्यप्रदेश की आबादी 1.39 करोड़ थी, लेकिन राज्य में अब हर दशक में इतनी आबादी बढ़ रही है। हर साल लगभग 15 लाख लोग राज्य के हिस्से में जुड़ जाते हैं। इस लिहाज से हम आबादी के हिसाब से थाईलैंड, फ्रांस, यूके, इटली और साउथ अफ्रीका से भी आगे निकल चुके हैं। हर 10 साल बाद होने वाली जनगणना इसी साल 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण टल गई। लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो प्रदेश की आबादी अब 8.45 करोड़ के आसपास है। यदि आबादी की यही रफ्तार रही तो मुमकिन है कि हम अगले डेढ़ दशक में 10 करोड़ हो जाएंगे। वहीं भोपाल शहर की बात करें तो 100 साल पहले 1921 में यहां की आबादी केवल 1.40 लाख थी, जो 2021 में 21 लाख पहुंच गई है। यानी 100 साल में भोपाल की आबादी 15 गुना बढ़ी है।

देश में छठवां स्थान; फ्रांस, इटली और द. अफ्रीका से भी ज्यादा प्रदेश की आबादी

राज्य में बुजुर्गों और महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की कुल आबादी **7 करोड़ 26 लाख 26 हजार** थी।

52% 3 करोड़ 76 लाख पुरुष

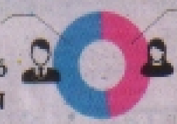

48% 3 करोड़ 50 लाख महिलाएं

नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, 2020 के अनुसार वर्ष 2021 में मप्र की आबादी **8 करोड़ 4 लाख** हो गई

घटकर 51.6% हो गई पुरुषों की संख्या | बढ़कर 48.4% हो गई महिलाओं की संख्या

पुरुषों का प्रतिशत घटा, महिलाओं का बढ़ा

2011 की जनगणना में मप्र में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी 7.5% थी जो 2021 में 8.5 हो गई है और 2036 तक 12.8 प्रतिशत हो जाएगी। जबकि पिछले 10 सालों से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या लगभग 15% है। जनगणना 2011 में 52% यानी 3.76 करोड़ पुरुष और 48% यानी 3.50 करोड़ महिलाएं थीं। 2021 में पुरुषों का प्रतिशत 51.6 जबकि महिलाओं का 48.4 हो गया है।

2005 तक मप्र में भी थी टू चाइल्ड पॉलिसी

मप्र में टू चाइल्ड पॉलिसी यानी हम दो हमारे दो का नियम 2001 से 2005 तक माना गया। इस नियम के तहत तीसरा बच्चा होने पर व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं रहता था। लेकिन जब ये विवाद हुआ कि इसे विधानसभा-लोकसभा चुनावों में भी लागू करवाया जाए तो 2005 में राज्य की भाजपा सरकार ने इसे हटा दिया।

11-7-2021